संख्या-6/2024/142/अस्सी-2-2024/80-2099/87/2022

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
मऊ, बुलंदशहर, सीतापुर, मेरठ, लखनऊ, रामपुर, बाराबंकी, अयोध्या, हाथरस, हरदोई, एटा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, सोनभद्र एवं मिर्जापुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी,
मऊ, बुलंदशहर, सीतापुर, मेरठ, लखनऊ, रामपुर, बाराबंकी, अयोध्या, हाथरस, हरदोई, एटा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, सोनभद्र एवं मिर्जापुर।
3. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार,उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक,राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0, लखनऊ।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 27 जून,2024

विषय: उत्तर प्रदेश के विशिष्ट कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के भौगोलिक उपदर्शन (जी0आई0) पंजीयन कराने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त संबंध में शासनादेश सं0-12/2022/120/अस्सी-2-2022/80-2099/87/2022 दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके बिन्दु-4 में जी0आई0 आवदेन की प्रक्रिया विस्तृत रूप से वर्णित है। जिसके अनुसार जी0आई0 पंजीकरण हेतु योग्य उत्पादों का चयन (उत्पाद का नाम, उत्पाद की विशिष्टता, उत्पाद का आच्छादित भौगोलिक क्षेत्रफल, उत्पाद से सम्बन्धित उत्पादकों/एफ0पी0ओ0 की संख्या एवं विवरण, उत्पाद का उपलब्ध ऐतिहासिक विवरण), जी0आई0 पंजीकरण हेतु प्रस्तावित उत्पाद का क्षेत्र, जी0आई0 हेतु प्रोपराइटरी का चयन उपरांत उत्पाद से सम्बन्धित विभाग का वरिष्ठतम जनपदीय अधिकारी फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करेगा।

2. शासनादेश के प्रस्तर 4.3 में जी0आई0 पंजीयन हेतु प्रोपराइटरी के रूप में आत्मा सोसायटी/ कृषक सहकारी समिति/ एफ0पी0ओ0/ एफ0पी0सी0/ कृषक समूहों/ उत्पादक समूहों को पंजीयन कराने हेतु वरीयता प्रदान करने की व्यवस्था वर्णित है। उक्त व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुए जी0आई0 उत्पादन के प्रोपराइटरी के रूप में कृषक सहकारी समिति/ एफ0पी0ओ0/ एफ0पी0सी0/ कृषक समूहों/ उत्पादक समूहों को पंजीयन कराने हेतु वरीयता प्रदान की जायेगी तथा उत्पाद से सम्बन्धित विभाग, आत्मा सोसाइटी व जनपदीय कृषि उत्पादन मण्डी समिति को जी0आई0 पंजीयन में सह प्रोपराइटरी (Co- Proprietary)/ सह-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आवेदक (Co- Applicant) के रूप में नामित कराया जायेगा। उत्पादक ही मुख्य रूप से प्रोपराइटरी होगा।

3. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 14.12.2022 के बिन्दु 4.5 में जी0आई0 पंजीयन में जिलाधिकारियों के सहायतार्थ तकनीकी फैसिलिटेटर को आबद्ध किये जाने की व्यवस्था वर्णित है। जी0आई0 पंजीयन हेतु आवेदन सम्बंधी समस्त औपचारिकताओं यथा पंजीयन, समस्त आवश्यक प्रक्रिया, अपील इत्यादि की पूर्ति तकनीकी फैसिलिटेटर संस्था से एम0ओ0यू0 करते हुए की जायेगी। इस हेतु केन्द्रीकृत रूप में कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय उ0प्र0 (नोडल एजेन्सी) द्वारा तकनीकी फैसिलिटेटर का इम्पैनलमेन्ट किया गया है, तथा अन्य फैसिलिटेटर को आबद्ध करने की प्रक्रिया भी प्रचलित है, जिसका विवरण विभागीय वेबसाइट www.upkrishivipran.in से भी प्राप्त किया जा सकता है।

4. शासनादेश सं0-12/2599682/80-02-2023/80-2099/87/2022 दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 में जी0आई0 पंजीयन आवेदन में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु सी0एस0आर0 फन्ड के साथ-साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत्त नवाचार और कृषि-उद्यमी विकास घटक/फन्ड से करने की व्यवस्था वर्णित है। उक्त व्यवस्था के साथ-साथ प्रदेश स्तर से जी0आई0 पंजीयन हेतु चयनित मौलिक कृषि उत्पादों (प्रसंस्कृत उत्पादों को छोड़कर) के जी0आई0 पंजीयन आवेदन में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्रित रूप में राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ से की जायेगी।

5. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 में जी0आई0 पंजीयन कराने हेतु आपके जनपदों के उत्पाद निम्नवत है:-

संशोधित जनपदवार उत्पाद सूची					
क्र 0 सं0	जनपद का नाम	उत्पादों का विवरण	क्र 0 सं0	जनपद का नाम	उत्पादों का विवरण
1	मऊ	लौकिहवा भांटा	8	हाथरस	हसायन गुलाब रूह
2	बुलंदशहर	खुर्जा की खुरचन	9	हाथरस	हसायन गुलुकन्द
3	सीतापुर	मूंगफली	10	हरदोई	संडीला लड्डू
4	मेरठ	गज़क	11	एटा व अलीगढ़	चिकोरी
5	लखनऊ	रेवड़ी	12	फर्रुखाबाद	फुलवा आलू
6	रामपुरबाराबंकी , व अयोध्या	मेंथा	13	सोनभद्र	चिरौंजी
7	हाथरस	हसायन गुलाब जल	14	मिर्जापुर	बाजरी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अत: नये उत्पादों के जी0आई0 पंजीयन हेतु कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-6/2024/142/अस्सी-2-2024/80-2099/87/2022,तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मण्डलायुक्त, आजमगढ़, मेरठ,लखनऊ, मुरादाबाद, अयोध्या, अलीगढ़, कानपुर एवं मिर्जापुर।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से कि इस शासनादेश की 100 प्रतियां मुद्रित कराकर कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-1
7. गार्ड फाइल।

विनीत प्रकाश
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।